



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 29.03.2024

**“ऑपरेशन स्माइल” अभियान के अन्तर्गत थाना चांदपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा 03 नाबालिक बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.12.2023 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर देकर अवगत कराया कि दिनांक 11.12.2023 को उसके तीन बच्चे (08 वर्ष, 04 वर्ष तथा 1.5 वर्षीय) घर से मदरसे में गये थे, लेकिन दोपहर तक बच्चे घर वापस नहीं आये। बच्चों को आसपास भी तलाश किया गया लेकिन बच्चे नहीं मिले। इस संबंध में थाना चांदपुर पर वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 891/23 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया।



गुमशुदा बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु थाना चांदपुर पर टीमें गठित की गयी।

### कार्यवाही –

जनपद में अपहृत / गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन स्माइल” के क्रम में थाना चांदपुर पर गठित पुलिस टीम द्वारा तीनों गुमशुदा बच्चों को दिल्ली से सकुशल बरामद किया गया तथा विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

### पुलिस टीम का विवरण –

- 1.श्री राजेश कुमार बैसला, प्रभारी निरीक्षक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 भूषण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3.आरक्षी 1093 नवनीत कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 4.महिला आरक्षी 2078 ललिता थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना नहतौर

दिनांक 29.03.2024

थाना नहतौर पुलिस ने अभियुक्त को 350 ग्राम अवैध चरस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्त नसीम पुत्र सब्बीर अहमद नि० मौ० मंगू की चरखी कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 350 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 137/24 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि० पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नसीम पुत्र सब्बीर अहमद नि० मौ० मंगू की चरखी कस्बा व थाना नहतौर बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1- 350 ग्राम अवैध चरस।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नसीम उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 319/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर

2. मु०अ०सं० 344/21 धारा 323/325/452/504 भादवि थाना नहतौर बिजनौर

3. मु०अ०सं० 340/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर

4. मु०अ०सं० 137/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

2- हे०का० 496 नरेश पूनिया थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

3- हे०का० 131 शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना किरतपुर

दिनांक 29.03.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/24 धारा 363/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.03.2024 को वादी श्री सोनू कुमार पुत्र पुरुषोत्तम नि0 ग्राम दरगोपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त देवेश कुमार पुत्र हरप्रसाद नि0 ग्राम दरगोपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 152/24 धारा 363 भादवि बनाम देवेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 24.03.2024 को थाना किरतपुर



पुलिस द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376/506 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

### कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 152/24 धारा 363/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त देवेश पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम दरगोपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. देवेश पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम दरगोपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2- का0 237 विवेक शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।





प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 29.03.2024

**जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 06 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	स्योहारा	मौ० मुर्तजा पुत्र हनीफ नि० ग्राम किवाड़ सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2	बढापुर	राम सिंह पुत्र गोधू सिंह नि० ग्राम टाण्डा साहूवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3	नजीबाबाद	इमरान पुत्र लियाकत नि० मौ० मुगलूशाह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4	नजीबाबाद	लाखन पुत्र ओमी नि० ग्राम इस्सेपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5	को० शहर	शमशीर पुत्र रशीद नि० मौ० खत्रियान थाना को० शहर जनपद बिजनौर
6	किरतपुर	सलमान पुत्र हमीद नि० मौ० करस्सावान करखा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



थाना स्योहारा



थाना बढापुर



थाना नजीबाबाद



थाना को० शहर



थाना किरतपुर



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना किरतपुर

दिनांक 29.03.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 138/24 धारा 498ए/304बी/323/506 भादवि व धारा 3/4 दहेज अधि0 में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.03.2024 को वादी श्री मौ0 इदरीश पुत्र सलामुद्दीन निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री को उसके ससुराल वालो द्वारा दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट करते थे तथा जान से मारने की धमकी देते थे व दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 138/24 धारा 498ए/304बी/323/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 बनाम सुभान पुत्र असलम आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 138/24 धारा 498ए/304बी/323/506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 में वांछित अभियुक्तगण 1.सुभान पुत्र असलम 2.असलम पुत्र अख्तर नि0गण ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.सुभान पुत्र असलम निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.असलम पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बुडगरी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2- का0 276 विपिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3- का0 1173 राहुल भास्कर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।




जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना किरतपुर

दिनांक 29.03.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को 350 ग्राम अवैध चरस सहित किया गिरफ्तार।

### कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उबैद पुत्र इलियास नि० मौ० लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 350 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 168/24 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि० पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. उबैद पुत्र इलियास नि० मौ० लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

### बरामदगी का विवरण-

1- 350 ग्राम अवैध चरस।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० श्री जयप्रकाश सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2- हे०का० 481 अमित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

3- का० 689 गौरव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।





जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना नगीना

दिनांक 29.03.2024

थाना नगीना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

### कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अफसर उर्फ शेरू पुत्र अनवर निवासी मौ० मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नगीना पर मु०अ०सं० 97/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अफसर उपरोक्त थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीटर नं०- 9/बी) अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना नगीना व थाना मझोला मुरादाबाद पर करीब एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अफसर पुत्र अनवर निवासी मौ० मनिहारी सराय कस्बा व थाना नगीना बिजनौर

### बरामदगी का विवरण-

1-एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर



## आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 290 / 94 धारा 324,323,504 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 313 / 2000 धारा 352,353,504,506 भादवि थाना नगीना बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 346 / 99 धारा 380 / 411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 243 / 02 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 258 / 02 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 946 / 2003 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना मझोला मुरादाबाद ।
7. मु0अ0सं0 943 / 2003 धारा 398 / 401 भादवि थाना मझोला मुरादाबाद ।
8. मु0अ0सं0 85 / 2004 धारा 380 / 411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 88 / 2004 धारा 380 / 411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 61 / 2004 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 178 / 07 धारा 18 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना बिजनौर ।
12. मु0अ0सं0 1002 / 09 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना बिजनौर ।
13. मु0अ0सं0 97 / 18 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
14. मु0अ0सं0 97 / 24 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1— उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 2— हे0का0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना बढापुर**

**दिनांक 29.03.2024**

**थाना बढापुर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही विवरण :-**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी एवं जिलाबदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा में पाये जाने पर जिलाबदर अभियुक्त वसीम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मौहल्ला झौझियान कस्सावान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

वसीम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी मौहल्ला झौझियान कस्सावान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर

**बरामदगी का विवरण –**

01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

**अपराधिक इतिहास वसीम उपरोक्त –**

1. मु0अ0सं0 55/24 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 112/23 धारा 2(ख)(17)/3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 64/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 507 प्रविन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 727 संजय शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. हे0का0 434 आशिष कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 29.03.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 158/2024 धारा 354/504/506 भादवि व 9m/10  
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.03.2024 को वादिनी द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी कि वादिनी के पति / अभियुक्त अब्दुल उर्फ मिल्तू देवनाथ पुत्र नारायण देवनाथ निवासी ग्राम सामावी बीकानन्द पारा थाना काकुल्या जनपद अगरतला (त्रिपुरा) हाल निवासी ग्राम घिसटपुरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड़ की गयी तथा गाली – गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 158/2024 धारा 354/504/506 भादवि व 9m/10 पॉक्सो एक्ट बनाम अब्दुल उर्फ मिल्तू देवनाथ पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/2024 धारा 354/504/506 भादवि व 9m/10 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अब्दुल उर्फ मिल्तू देवनाथ पुत्र नारायण देवनाथ निवासी ग्राम सामावी बीकानन्द पारा थाना काकुल्या जनपद अगरतला (त्रिपुरा) हाल निवासी ग्राम घिसटपुरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल उर्फ मिल्तू देवनाथ पुत्र नारायण देवनाथ निवासी ग्राम सामावी बीकानन्द पारा थाना काकुल्या जनपद अगरतला (त्रिपुरा) हाल निवासी ग्राम घिसटपुरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2440 सुधीर कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर